<u>कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।</u>

लखनऊ:दिनांक 26.11.2022

<u>यू0पी0 नीट पी0जी0–2022 के अन्तर्गत एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा की सीटो पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियो के प्रवेश प्रकिया के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।</u>

1. राजकीय क्षेत्र की सीटो पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/संस्थान के निदेशक/विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर करायी जायेगी, नोडल सेन्टर की सूची संलग्न है।
3. निजी क्षेत्र के कालेजो मे आवंटन–प्राप्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी0टी0एस बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0** (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो एवं अभिलेखो के सत्यापन के उपरान्त मूल शैक्षणिक अभिलेख नोडल सेन्टर पर जमा किया जाना अनिवार्य है।
4. यदि निजी क्षेत्र के कालेज प्रबन्धन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शिक्षण शुल्क पर प्रवेश हेतु सहमति दी गयी है, तो तद्‌नुसार शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट नोडल सेन्टर पर जमा कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
5. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजो का शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण–शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट dgme.up.gov.in पर upneet.gov.in पर उपलब्ध है।
6. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों के मेडिकल कराये जाने की व्यवस्था कालेज/विश्वविद्यालय/नोडल सेन्टर स्तर पर बोर्ड का गठन किया गया है, समस्त आवंटित अभ्यर्थी को मेडिकल कराना अनिवार्य है।
7. पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अभ्यर्थियो को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र के आधार पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
8. उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC Certificate) का जाति प्रमाण–पत्र **दिनांक 01 अप्रैल 2022 अथवा इसके पश्चात् का बना हो मान्य होगा।** अन्यथा की स्थिति में उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।
9. **मॉप–अप राउण्ड से आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश लेना अनिवार्य है।**
10. किसी अभ्यर्थी द्वारा मॉप–अप राउण्ड के अन्तर्गत किसी सीट पर आवंटन प्राप्त किया और उस पर प्रवेश नहीं लिया गया है, तो उस स्थिति मे आवंटित अभ्यर्थी के प्रवेश न लेने की स्थिति मे यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है और यह संज्ञान मे आता है कि सीट ब्लाक की गयी है, तो उस संबंध मे अभ्यर्थी का पंजीकरण निरस्त किए जाने हेतु नेशनल मेडिकल काउन्सिल, नई दिल्ली को संदर्भित कर दिया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।
11. अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु बेबसाईट **<u>https://upneet.gov.in & www.dgme.up.gov.in</u>** का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक।

Pvt. PG-2022 Gen. 132